पत्र संख्या– 1 / प्रा0आ0–0–3–38 / 18.....14..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु
अपर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 10/7/18

विषयः–वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–122– खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, उपशीर्ष–0001– क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मति विपत्र कोड–39–2245021220001 मे कुल ₹27350.00 लाख (दो सौ तिहत्तर करोड़ पचास लाख रूपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः-स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष– 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–122– खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, उपशीर्ष–0001– क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मति के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक – ब–17/ बी0सी0एफ0–(आपदा)–52 / 2018 / 21 सी0एफ0 दिनांक –03.07.2018 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 57 / आ0प्र0 दिनांक 06.07.18 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित / पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :–
लघुशीर्ष–122– खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
उपशीर्ष–0001–क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मति
माँग संख्या–39 विस्तृत शीर्ष– 27–लघु कार्य, विषय शीर्ष–02–अनुरक्षण एवं मरम्मत

(राशि रूपये लाख में)

क्र॰	विभाग	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2018–19)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2018–19)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	27500.00	0.00 (शून्य)	27350.00 (दो सौ तिहत्तर करोड़ पचास लाख)	27350.00 (दो सौ तिहत्तर करोड़ पचास लाख)

4 यह आवंटन प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1751 दिनांक 08.05.18 द्वारा की गई अधियाचना तथा दिनांक 12.06.2018 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही संख्या–3 में लिए गए निर्णय के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आवंटित राशि का व्यय वर्ष 2017 में आयी बाढ से क्षतिग्रस्त तटबंधों /संरचनाओं/बराजों इत्यादि एवं क्षतिग्रस्त नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन हेतु किया जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से " 8000-आकस्मिकता निधि " अंकित कराया जाय ।**

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/07/18

अपर सचिव